सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

श्रीमती सुगना व [illegible]

मु. सं. 45/2010

03-01-2020 वादिया/प्रार्थिया श्रीमती भंवरी के आवेदन वास्ते वादिया/प्रार्थिया श्रीमती भंवरी के आवेदन वास्ते विड्रो करने बाद/आवेदन पत्र बमुजब सुलहनामा विड्रो करने बाद/आवेदन पत्र बमुजब सुलहनामा आज ही प्रस्तुत करने व पत्रावली तलब करने आज ही प्रस्तुत करने व पत्रावली तलब करने पर पत्रावली आज तलब की गई। वादिया सं. 3 स्वयं उपस्थित जिन्होंने कथन किए कि पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से इस वाद में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं एवं वाद विड्रो कर खारिज किए जाने का निवेदन किया। यह प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वादिया सं. 3 श्रीमती भंवरी व प्रतिवादी सं. 2 आनन्दसिंह को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। प्रार्थना पत्र सुनने व समझने के बाद वादिया ने आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने पर सहमति ज़ाहिर की। सहमति स्वरूप वादिया सं. 3 तथा प्रतिवादी सं. 2 के हस्ताक्षर करवाए गए। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन लोक अदालत की भावना के प्रतिपत्र इस आशय से स्वीकार किया जाता है कि पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामे से न्यायालय को कोई सरोकार नहीं रहेगा अर्थात् राजीनामे में अंकित शर्तों से न्यायालय का कोई सरोकार नहीं रहेगा। राजीनामा पक्षकारान के मध्य है जिसकी शर्तों के लिए स्वयं पक्षकारान जिम्मेदार रहेंगे। अतः यह प्रार्थना उक्त आशय से वादिया सं. 3 की सीमा तक खारिज किया जाता है। चूंकि समस्त वादिया गण व प्रतिवादी सं. 2 ने वाद विड्रो बाबत सहमति ज़ाहिर की है अतः प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

भंवरी

आनन्द सिंह

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर